

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित किए जाने की तिथि : 15 फरवरी, 2023

निर्णय सुनाए जाने की तिथि: 10 नवम्बर, 2021

रि.या.(सि) 2670/2017 और आ.वि. आवे. 11599/2017

ए एस रावत

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री ज्योति दत्त शर्मा, श्री सी के
भट्ट और श्री आयुष भट्ट,
अधिवक्तागण (मो.: 9891077497)

बनाम

दावा ताशी

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:

न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह

निर्णय

न्या., प्रतिभा एम. सिंह

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।
2. आरटीआई आवेदक श्री दावा ताशी, जो उस समय तिब्बतियों के लिए केंद्रीय विद्यालय, दार्जिलिंग में स्नातकोत्तर शिक्षक (तिब्बती) थे, ने 10 जुलाई, 2014 को केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (एतदपश्चात 'सीटीएसए') के लोक सूचना अधिकारी (लो.सू.अ.) के समक्ष एक आरटीआई आवेदन दायर किया।

उन्होंने निम्नलिखित जानकारी मांगी:-

- “1. मुझे के.ति.वि.प्र.कर्मचारी के रूप में स्थायीकरण पत्र यानी मूल पद क्षमता पत्र कब प्राप्त होगा? यदि नहीं, तो क्यों?”
2. मैं के.ति.वि.प्र.कर्मचारी के रूप में नियम के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता (बा.शि.भ.) कब प्राप्त करूंगा? यदि नहीं, तो क्यों?”
3. के.ति.वि.प्र.कर्मचारी के रूप में मुझे अखिल भारतीय एलटीसी (छु.या.भ.) लाभ कब दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?”
4. क्या के.ति.वि.प्र.भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 30/आईडी/2010-ईआरएस दिनांक 7 फरवरी, 2014 से सम्मत है, जिसमें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे मेरे जैसे तिब्बतियों जो 26 जनवरी, 1950 के बाद एवं 1 जुलाई, 1987 से पहले

पैदा हुए थे, को मताधिकार से वंचित न करें। पत्र में यह भी कहा गया है कि "नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (ए) के अनुसार, भारत में 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई, 1987 से पहले तिब्बती शरणार्थियों से जन्मे बच्चों को भारत में उनके जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि नहीं, तो क्यों?"

3. आरटीआई आवेदक 16 सितंबर, 1992 से के.ति.वि.प्र.के अधीन सेवाओं में सम्मिलित हुआ। लो.सू.अ. श्री ए. एस. रावत जो कि के.ति.वि.प्र. शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने 12 अगस्त 2014 को निम्नलिखित शब्दों में जवाब दिया:

"मैं उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 10.07.14 के आरटीआई आवेदन का सन्दर्भ ग्रहण करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा, लेकिन अभिलेख के अनुसार आपकी राष्ट्रीयता तिब्बती है। इसलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आपको जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। फीस हेतु 10 रु. (मात्र दस रु.) का आईपीओ जिसके एतद द्वारा वापस किया जाता है। "

4. इस प्रकार, लो.सू.अ. का दृष्टिकोण यह था कि चूंकि आरटीआई आवेदक एक तिब्बती नागरिक था, इसलिए वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (एतद पश्चात 'आरटीआई अधिनियम') के प्रावधानों को लागू करने का हकदार नहीं होगा।

5. इसके पश्चात् एक अपील अधिमत की गई। श्री विनीत जोशी, अपीलीय प्राधिकारी ने 15 सितंबर, 2014 को लो.सू.अ.के उत्तर की पुष्टि की थी। 26 सितंबर 2014 को, अपीलीय प्राधिकारी, श्री विनीत जोशी ने आरटीआई आवेदक को एक और पत्र लिखा, जो इस प्रकार है:

“आवेदक द्वारा पूछा गया प्रश्न, सामग्री के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के नियम 2 (एफ) के तहत इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है।”

6. इस प्रकार, अपील प्राधिकारी द्वारा अपील नामंजूर कर दी गई। केंद्रीय सूचना आयोग (एतद पश्चात 'के.सू.आ.') ने दूसरे अपील में अपने 5 अक्टूबर, 2016 के आदेश द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। के.सू.आ. के निर्देश इस प्रकार हैं:-

“21. आयोग प्रत्यर्थी प्राधिकारी को निर्देश देता है कि वह अपीलकर्ता को बिंदुवार जानकारी प्रदान करे, उसकी शिकायत पर विचार करे और उसकी शिकायतों पर विस्तृत कारणों के साथ कार्रवाई प्रतिवेदन दे और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर यह बताए कि बिंदु 4 में निर्दिष्ट पत्र को क्यों लागू नहीं किया गया है। शास्ति कार्यवाही और अनुपालन हेतु दूसरी अपील 26 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के लिए निर्धारित की जाती है। यदि उस तारीख तक प्रत्यर्थी अधिकारियों से कोई

उत्तर नहीं मिलता है और यदि वे कारण बताओ नोटिस को स्पष्ट करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, तो आयोग उनके अनुपस्थिति में शास्ति कार्यवाही का निर्णय लेने हेतु विवश होगा।"

7. इसके साथ ही, के.सू.आ. ने इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, लो.सू.अ. को भी नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अधिकतम शास्ति अधिरोपित की जाए।

8. उक्त निर्देश के.सू.आ. के 5 अक्टूबर, 2016 के आदेश में अंतर्विष्ट है। उपर्युक्त आदेश का क्रियात्मक भाग नीचे दिया गया है:- -

"7. यह बेहद निंदनीय है कि केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन उनके नियंत्रण में स्थापित/प्रशासित एक स्कूल में काम करने वाले अपने कर्मचारी को इस प्रतिहेतु पर जानकारी देने से मना कर रहा है कि अपीलकर्ता तिब्बती नागरिक था, हालांकि वह भारत में पैदा हुआ था। उन्होंने इस बुनियादी सिद्धांत अवहेलना की है कि भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता-पिता तिब्बती ही क्यों न हों। के.ति.वि.प्र.संगठन का उद्देश्य दिल्ली में तिब्बतियों की मदद करना है। के.लो.सू.अ., जो एक शिक्षा अधिकारी और एफए हैं, जो कोई और नहीं बल्कि के.ति.वि.प्र.का निदेशक हैं, ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया और अपने संगठन के बुनियादी उद्देश्यों और आरटीआई अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों

की अनदेखी की। यदि उन्हें सही मायने में संदेह है कि अपीलकर्ता भारत का नागरिक नहीं है, तो उन्हें उस स्थिति की, जन्म प्रमाणपत्र आदि की जांच करनी चाहिए थी। यदि जन्म प्रमाणपत्र में यह दर्शाया गया हो कि वह भारतीय भूमि में पैदा हुआ था तो वह उनके संदेह का खंडन कर सकता था। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस तरह के किसी भी प्रयास को प्रदर्शित करने वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है। के.लो.सू.अ. ने आयोग को बताया कि उन्होंने सूचना एकत्र कर ली है और यदि के.सू.आ. ने आदेश दिया तो दी जाएगी। इससे उनके इरादों का पता चलता है।

8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है:

5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता: इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है। और

(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था। या

(ख) जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

9. भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 30/आईडी/2010/ईआरएस दिनांक 7 फरवरी, 2014 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 15437/2013 तेनजिन चोफाग लिंग रिनपोचवे बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 7 अगस्त, 2013 के निर्णय के आलोक में स्पष्टीकरण जारी किया है तथा निर्वाचन आयोग ने अपने निर्णय पर पुनः विचार किया है। नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 (1) (ए) के अनुसार, भारत में तिब्बती शरणार्थियों से जन्मे बच्चों को भारत में उनके जन्म, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के 26 अगस्त, 2011 के पत्र में निहित किसी भी बात के बावजूद भा.नि.आ. के 27 सितंबर, 2011 के पत्र के माध्यम से आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह स्पष्ट किया है कि संबंधित ईआरओ को तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के नामांकन से इनकार नहीं करना चाहिए, जहां वे संतुष्ट हैं कि (1) आवेदक का जन्म भारत में हुआ था (2) वह 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद पैदा हुआ था, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले और (3) वह आमतौर पर वहां निवासी है जिस निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन के लिए आवेदन किया गया है।

10. यह पत्र बहुत स्पष्ट है कि के.ति.वि.प्र.को क्या करना है। के.ति.वि.प्र.को यह पता था और उसने अपीलार्थी को नियुक्त

करने वाले जापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उसकी पूरी जानकारी में है कि अपीलार्थी भारत का नागरिक था, उचित साक्षात्कार के बाद नियुक्ति के तहत उनके साथ काम कर रहा था और उसने कुछ शिकायतें रखीं। फिर भी उसने अपीलार्थी के आरटीआई अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए नागरिकता के आधार का उपयोग करने की कोशिश की।

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत दो पहलू हैं-एक यह जीवन के अधिकार का घटक है क्योंकि इसमें जानने के अधिकार का एक पहलू शामिल है, जो व्यक्तियों के लिए प्रत्याभूत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। दूसरा, यह अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।

अनुच्छेद 21 कहता है: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

12. भारत के संवैधानिक न्यायालयों ने कई बार यह अभिनिर्धारित किया कि आर. टी. आई. एक मानव अधिकार है और इस प्रकार यह सभी मनुष्यों के लिए है। इसके अलावा, आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत नागरिकों को प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिसमें कहा

गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

13. लोक प्राधिकारी इस आधार पर जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकता कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है जब तक कि उसने प्रथमदृष्टया यह पता नहीं लगा लिया हो कि वह भारत का नागरिक नहीं है। लोक सूचना अधिकारियों को यह समझने के लिए आरटीआई अधिनियम का गहराई से अध्ययन करना चाहिए कि यद्यपि धारा 3 में 'नागरिक' शब्द का उपयोग किया गया था, लेकिन अधिनियम की कई अन्य धाराओं में विशिष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया गया है जिसके आवेदन को उसे विहित रूप से प्राप्त करना है और जवाब देना है।

14. आरटीआई अधिनियम, अब, जहां यह उल्लेख किया गया है कि आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही किसी गैर-नागरिक के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है, यदि वह इस तरह की कार्रवाई से प्रभावित होता है। इस आधार पर आवेदक को प्रत्याख्यान हेतु सिमित निर्वचन इस अधिनियम के उद्देश्य को अभिलोपन करना है। इस प्रकार, प्रस्तावना तथा धारा 3 में प्रयुक्त 'नागरिक' अभिव्यक्ति जो कि अधिकारों की घोषणा है, धारा 6 से आगे पूरे अधिनियम में 'व्यक्ति' को जानकारी देने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है और कई प्रावधानों में, अधिनियम विशेष रूप से 'व्यक्ति' अभिव्यक्ति का उल्लेख करता है। यह 'व्यक्ति' शब्द को

सावधानीपूर्वक एवं जान-बूझकर शामिल किया जाना है, न की आकस्मिक या असावधानीपूर्वक। इसके अलावा धारा 7 के परन्तुक में "व्यक्ति" शब्द के उपयोग का अर्थ "व्यक्ति" को शामिल करने के लिए किया जा सकता है और यह दर्शाता है कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी को केवल नागरिक हेतु प्रयोज्य नहीं माना जा सकता है यदि ऐसा होता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में संवैधानिक रूप से अवैध होगा। धारा -7 का पाठ इस प्रकार है।

धारा 7. अनुरोध का निपटान- (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा :

परन्तु जहाँ मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

'व्यक्ति' शब्द आरटीआई अधिनियम, 2005 के निम्नलिखित प्रावधानों में भी प्रकट होता है:

धारा 4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

धारा 5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम-(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के एक सौ दिनों के भीतर, सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।

धारा 6. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध।- (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,-

धारा 18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे,-

...18 अपीलकर्ता को दो हैशियतों में इस सूचना का अधिकार है। पहला, लोक प्राधिकरण के कर्मचारी के रूप में दूसरा, आरटीआई अधिनियम के तहत एक नागरिक/व्यक्ति के रूप में। लोक प्राधिकारी, विशेषकर निदेशक का नियोक्ता के रूप में उसके हैसियत के तौर पर यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारी को सूचना प्रदान करें। लोक प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत सूचना दे। माँगी गई सूचना उसके सेवायोजन एवं निदेशक व अन्य अधिकारियों द्वारा अभिशासन में किए गए भेदभाव से सम्बंधित थी। अपीलार्थी लोक प्राधिकरण के निदेशक के निर्णयों से प्रभावित व्यक्ति था और धारा 4(1)(घ) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को उसके निर्णयों के कारण प्रभावित व्यक्ति को बताने होंगे। यहां उसके नागरिकता का प्रश्न अप्रासंगिक है। यह कहकर लोक प्राधिकारी, निदेशक और के.लो.सू.अ. ने धारा 4 (1) (डी) का उल्लंघन किया है। इस तथ्य को नजरअंदाज करके कि अपीलकर्ता भारत में जन्मा था और इस प्रकार उसकी नागरिकता निर्विवाद थी, लो.सू.अ. ने धारा 3 का उल्लंघन किया। मानो उन्होंने सूचना से इनकार द्वारा अपीलकर्ता को परेशान करने के लिए झूठे बहाने के रूप में 'नागरिकता' मुद्दे का उपयोग किया। आरटीआई अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत, लो.सू.अ. को इस बात की परवाह किए बिना कि वह नागरिक है या नहीं, अपीलार्थी को उसके 'व्यक्ति' होने के तौर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था। एक कर्मचारी के रूप में, वह सूचना का हकदार था, भले ही वह नागरिक नहीं था। इस प्रकार, लो.सू.अ. और प्रथम

अपीलीय प्राधिकारी ने बिना यह सुनिश्चित करने के प्रयास के कि वह नागरिक है या नहीं, उस पर नागरिक नहीं होने का आरोप लगा कर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है।

19. आयोग यह अभिनिर्धारित करता है कि लोक प्राधिकारी केवल इस संदेह पर सूचना से इंकार नहीं कर सकता कि अपीलार्थी भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। यदि यह आधारहीन संदेह है, तो लो.सू.अ. की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण माना जाएगा। बुनियादी तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार है क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत लो.सू.अ. को विशेष रूप से आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तियों को जानकारी देना अनिवार्य है, सार्वजनिक प्राधिकरण को न केवल नागरिकों को, बल्कि व्यक्तियों को भी जानकारी देनी है। 'नागरिकता' के बारे में बेबुनियाद संदेह द्वेष को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में यह सूचना देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यदि लो.सू.अ. ने अपीलार्थी की नागरिकता के बारे में अपने संदेह की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया, तो वह आरटीआई के दुर्भावनापूर्ण प्रत्याख्यान का दोषी होगा।

20. अपीलार्थी द्वारा उठाए गए प्रश्न के.ति.वि.प्र. में पक्षपातपूर्ण प्रशासन से संबंधित हैं जहां अपीलार्थी को कथित रूप से उसके उचित लाभों से वंचित किया जाता है। आयोग, के.लो.सू.अ. श्री ए. एस. रावत, शिक्षा अधिकारी और निदेशक श्री विनीत जोशी एफए को ऐसे मानित के.लो.सू.अ. मानते हुए जिन्होंने सूचना के

अभिगम में अवरोध उत्पन्न किया, निर्देशित करता हैं कि वे कारण बताएं कि उन दोनों के विरुद्ध अधिकतम शास्ति क्यों अधिरोपित न की जाए तथा सूचना के दोषपूर्ण प्रत्याख्यान हेतु इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए। निदेशक श्री विनीत जोशी को भी निर्देशित किया जाता हैं कि वे कारण बताएं कि क्यों न लोक प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपीलार्थी को अधिकारियों की अनुचित अनुक्रिया जो कि उनके उत्तर एवं दलीलों में परिलक्षित होता हैं, के कारण हुए नुकसान और अन्य नुकसानों के लिए प्रतिकर का भुगतान करे।"

9. के.सू.आ. द्वारा जारी किए गए इस नोटिस के उत्तर में, के.ति.वि.प्र. ने यह स्थिति ग्रहण की कि जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आरटीआई आवेदक ने, उसकी नियुक्ति के समय, स्पष्ट रूप से कहा था कि वह एक तिब्बती नागरिक है और उसने अपनी राष्ट्रियता को तिब्बती घोषित किया था।

10. लो.सू.अ.-याचिकाकर्ता द्वारा के.सू.आ. को संबोधित दिनांक 31 अक्टूबर 2016 का उत्तर एवं आरटीआई आवेदक को दी गई प्रतिलिपि प्रासंगिक है और नीचे दिया गया है:-

“(क) उसके स्थायीकरण के संबंध में:

यह एक तथ्य है कि अपीलार्थी तिब्बतियों के लिए केंद्रीय विद्यालय (संक्षेप में के.ति.वि.प्र.) का एक कर्मचारी है। उसे के.ति.वि.प्र. जापन दिनांक 16.9.1992 द्वारा एक अस्थायी कर्मचारी (अनुलग्नक-1) के रूप में तिब्बती भाषा के शिक्षक के रूप में केंद्रीय तिब्बत विद्यालय प्रशासन में नियुक्त किया गया था। श्री दावा ताशी द्वारा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय के.ति.वि.प्र. में प्रस्तुत बायोडाटा के अनुसार उसने स्वयं अपनी राष्ट्रीयता को तिब्बती घोषित किया और आर. सी. संख्या एसजेए/1551/84 (अनुलग्नक-II) में तिब्बती नागरिक (विदेशी नागरिक) होने का उल्लेख किया। के.ति.वि.प्र. में नियुक्ति के समय श्री दावा ताशी ने प्रधान शिक्षक, सीएसटी, खड़ापत्थर द्वारा दिनांक 18.12.92 को नियुक्ति के लिए कई अनिवार्य घोषणाएं देते हुए अपना अनुप्रमाणन फॉर्म प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता को "तिब्बती" के रूप में घोषित किया था (अनुलग्नक-III)।

श्री दावा ताशी को 18.09.1995 से पीजीटी (तिब्बती) के रूप में नियुक्त किया गया।(अनुलग्नक IV)।

वर्ष 2001 तक के.ति.वि.प्र.(भारतीय और तिब्बती) के सभी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की हैसियत में थे, लेकिन किसी को भी वास्तविक हैसियत में नहीं रखा गया था।

...चुनाव आयोग द्वारा भारत में मतदाता सूची में नामांकन के लिए उनके उप-कार्यालयों को जारी का निर्देश लेकिन श्री दावा

ताशी ने के.ति.वि.प्र. में अपने नियुक्ति के समय स्वयं को तिब्बती नागरिक घोषित किया तथा और उसके बाद भारत में तिब्बती शरणार्थियों को प्रदत्त सभी सुविधाओं का लाभ उठाया, इसलिए राष्ट्रीयता का स्वतः परिवर्तन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 28.08.2011 के पत्र के माध्यम से पैरा-(v) के अंतर्गत प्रावधानों का भी उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 (1) (ए) के तहत दिनांक 01 .07.1987 से पहले भारत में जन्म लेने के आधार पर तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को स्वतः भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ऐसे सभी व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 (2) के तहत गृह मंत्रालय को व्यक्तिगत रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद भारत में तिब्बती शरणार्थियों से जन्मे ऐसे सभी बच्चों की राष्ट्रीयता की स्थिति का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता नियम, 2009 के तहत उपलब्ध विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ऐसे सभी बच्चों को, तथा जब एक भारतीय के रूप में उनकी राष्ट्रीयता का दर्जा इस मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है, तो उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने से पहले अपना तिब्बती शरणार्थी प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।” इसकी प्रति संलग्न है (अनुलग्नक-VII)।

...के.ति.वि.प्र. में दर्ज सेवा-विवरण के अनुसार, श्री दावा ताशी एक तिब्बती नागरिक हैं। भारत सरकार के आदेश के अनुसार,

तिब्बती नागरिकों को सेवा में विदेशी होने के नाते पुष्टि का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार की नीति के रूप में भारत सरकार के इस कारण और आदेश के कारण। के.ति.वि.प्र.में काम करने वाले तिब्बती नागरिकों को के.ति.वि.प्र.में पुष्टि का दर्जा नहीं दिया गया है भारत सरकार की नीति और के.ति.वि.प्र.में इस उद्देश्य के लिए सरकार से प्राप्त निर्देशों के रूप में उन्हें पुष्टि पत्र जारी नहीं किया गया है।"

11. हालांकि, उपरोक्त जवाब प्राप्त करने के बाद सीआईसी ने निष्कर्ष निकाला कि लो.सू.अ.का आचरण असद्भावीपूर्ण और असद्भावीपूर्ण था और यह आरटीआई आवेदक की नागरिकता के बारे में आधारहीन संदेह पर आधारित था। तदनुसार, सीआईसी ने 22 नवंबर, 2016 के अपने आदेश द्वारा लो.सू.अ.पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो चुनौती के तहत आदेश है। सीआईसी के

"5 श्री टी प्रीतम और श्री ए एस रावत शिक्षा अधिकारी/सीआईलो.सू.अ.ने हेतुक बताओ नोटिस के जवाब में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने दावा किया कि 31.10.2016 को कागजात अपीलकर्ता को भेजे गए थे और प्रेषण का प्रमाण 02.11.2016 को दिखाया गया है। हालांकि, अपीलकर्ता को आज की सुनवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सका। जब सीआईसी कार्यालय ने उनसे उनके मोबाइल फोन पर ओपन स्पीकर के साथ संपर्क किया तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें अभी तक

जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और कहा कि यदि मांगी गई जानकारी में कोई कमी है तो वह आयोग को लिखेंगे। आयोग के सवाल के जवाब में सीलो.सू.अ.ने कहा कि उन्हें भारत में अपीलकर्ता के जन्म के बारे में कोई संदेह नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि वह तिब्बती नागरिक के रूप में आवेदक के दावे से भ्रमित थे और इसलिए उन्होंने इसके अलावा सूचना देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि यह पहला आरटीआई आवेदन था। इसके अलावा, सीलो.सू.अ.ने सूचना देने से इनकार करने के बारे में एक लंबा लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने 26.10.2016 को दिए गए सहायक आदेश के बाद ही जानकारी दी। अतः यह साबित हो जाता है कि सीलो.सू.अ.ने 2014 में मांगी गई सूचना को 26.10.2016 तक अस्वीकार कर दिया था, जिसे 31.10.2016 को भेजा गया था। उनके मौखिक बयान से यह स्पष्ट है कि उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि अपीलकर्ता का जन्म भारत में हुआ था। यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है तो उस राज्य की नागरिकता ले लेता है। यह भारत के संविधान का भी एक हिस्सा है, जिसके बारे में सीलो.सू.अ.अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता। यह माना जाता है कि कानून सभी को पता है। सीपीआईओ, जो एक शैक्षिक अधिकारी भी हैं, और अपीलकर्ता के सहयोगी, व्यक्तिगत रूप से जानते हुए कि अपीलकर्ता का जन्म भारत में हुआ था, हालांकि वह एक तिब्बती नागरिक था, ने जानबूझकर अपीलकर्ता की नागरिकता के बारे में एक आधारहीन संदेह पैदा करने वाली जानकारी से इनकार किया है। सीलो.सू.अ.ने सूचना देने से

इनकार करने के लिए यह बहाना बनाया है। तिब्बती लोगों की मदद के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण का गठन किया गया था। अपीलकर्ता को सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा इस पूर्ण ज्ञान के साथ नियुक्त किया गया था कि वह भारत में पैदा हुआ एक तिब्बती नागरिक है।

6. 09.11.2016 को, अपीलकर्ता ने आयोग को प्रस्तुत किया कि उसे भ्रामक और अप्रासंगिक जानकारी दी गई थी, और निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया:

मुझे पहले भी जानकारी नहीं दी गई थी और इस बार भी मांगी गई जानकारी नहीं दी गई। के.ति.वि.प्र.पत्र एफ नं. 22/8-2015 के.ति.वि.प्र.(पीई) दिनांक 31.10.2016 का हाल का जवाब असंबंधित कहानियों से भरा हुआ था और मेरे अधिकारों से वंचित करने के अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे को छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। इसलिए, उनके उपरोक्त पत्र के अनुसार, मैंने भौतिक सबूतों के आधार पर उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को समझाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है।

7. आरटीआई निषेध की खंड 3 कहती है कि सभी नागरिक आरटीआई निषेध के हकदार हैं। वास्तव में, कानून में आरटीआई अधिनियम की कई धाराओं में 'व्यक्तियों' का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ है कि 'व्यक्तियों' के पास भी आरटीआई है (जैसा कि ऊपर मुख्य आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है)। कानून बहुत स्पष्ट है कि केवल खंड 8 और 9 के तहत या खंड

24 के तहत जानकारी से इनकार किया जा सकता है। यहां तक कि खंड 24 के तहत भी मानव अधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया गया है। सूचना के लिए अनुरोध मूल रूप से अपीलकर्ता की एक शिकायत थी जो सार्वजनिक प्राधिकार के कुशासन का परिणाम थी।

8. सीलो.सू.अ.का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। वह अपने इनकार को न्यायोचित ठहराने की कोशिश कर रहा है इसलिए आयोग ने पाया कि श्री ए. एस. रावत शिक्षा अधिकारी/सीलो.सू.अ.पर अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।"

12. 5 अक्टूबर 2016 और 22 नवंबर 2016 के आदेशों के संयुक्त पठन से पता चलता है कि सीआईसी की राय थी कि आरटीआई आवेदक दो मामलों में जानकारी पाने का हकदार था -

- पहला, कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के कारण आरटीआई आवेदक भारत का नागरिक था।
- सीआईसी द्वारा दिया गया तर्क यह है कि खंड 3 के तहत सभी नागरिक आरटीआई निषेध के तहत सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं नागरिकों को।

13. वर्तमान रिट याचिका में चुनौती केवल 22 नवंबर, 2016 के आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा दंड अधिरोपित किया गया है। जब वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष 12 अप्रैल, 2017 को सूचीबद्ध की गई थी, तो 22 नवंबर, 2016 के आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद आरटीआई आवेदक कई बार पेश हुआ और उसने जवाबी शपथ पत्र दायर किया। हालांकि, आरटीआई आवेदक की ओर से उपस्थिति अनियमित रही है।

14. आरटीआई आवेदक द्वारा जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया है। जवाबी शपथ पत्र में मुख्य आधार यह है कि सीआईसी ने कहा था कि आरटीआई आवेदकों में नागरिकता का सवाल अप्रासंगिक है, जब कर्मचारी द्वारा मांगी गई जानकारी कुशासन या शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों द्वारा पक्षपातपूर्ण प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि लो.सू.अ.के जवाब से पता चलता है कि प्रशासन उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण था। उनका यह भी दावा है कि यह मामला के.ति.वि.प्र.की ओर से कुशासन से जुड़ा हुआ है।

15. आरटीआई आवेदक ने अपने जवाबी शपथ पत्र में कहा है कि वह 1 जुलाई, 1965 को पैदा हुआ था और उसका दावा है कि उसके द्वारा 1992 में प्रस्तुत किए गए बायो-डाटा में भी इसका उल्लेख किया गया है और इस प्रकार वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की खंड 3 (1) (ए) के तहत एक नागरिक के रूप

में माने जाने का हकदार है। लो.सू.अ.द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया। आरटीआई आवेदक जिन विभिन्न भत्तों और अन्य लाभों के हकदार थे, उन्हें उन्हें नहीं दिया गया, जिससे आरटीआई आवेदन दाखिल किया गया। चूंकि लो.सू.अ.को आरटीआई आवेदक की जन्मतिथि के बारे में जानकारी थी, इसलिए सूचना जारी न करना असद्भावीपूर्ण है।

16. न्यायालय ने सीआईसी को दिए गए जवाब के संबंध में के.ति.वि.प्र.के रुख का अवलोकन किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि आरटीआई आवेदक एक तिब्बती शरणार्थी था। इस पृष्ठभूमि में, इस याचिका में सवाल यह उठता है कि क्या लो.सू.अ.का रुख दुर्भावनापूर्ण था, जो जुर्माना लगाए जाने के योग्य था।

17. दंड लगाने के प्रश्न पर उन कानूनी मुद्दों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जो सीआईसी ने निर्धारित किए हैं, **पहला**, कि आरटीआई आवेदक एक नागरिक है और **दूसरा** यह कि आरटीआई अधिनियम का विस्तार गैर-नागरिकों पर भी है।

18. सूचना का अधिकार अधिनियम की खंड 3 इस प्रकार है:- -

“3. सूचना का अधिकार अधिनियम की खंड 3 इस प्रकार है:-
सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।”

19. आरटीआई अधिनियम से पहले सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 ('विधेयक') लाया गया था जिसकी प्रस्तावना निम्नानुसार है:

“सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक लोगों की पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके, एक केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश किया जा सके और इससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों को निपटाया जा सके।”

20. विधेयक के खंड 3 और 6 इस प्रकार हैं:

“3. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

6. (1) एक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह अंग्रेजी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से एक अनुरोध करेगा जिसमें आवेदन किया जा रहा है, जिसके साथ ऐसी फीस है जो निर्धारित की जाए -

(क) के लोक सूचना अधिकारी संबंधित लोक प्राधिकारी

(ख) सहायक लोक सूचना अधिकारी,

उसके द्वारा मांगी गई सूचना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करना:

बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को इसे कम करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

2. सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण के लिए अनुरोध करने का कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित हो। या

(ii) जिसका विषय किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है,

लोक प्राधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो उस अन्य लोक प्राधिकारी को समुचित हो, अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचित करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिन के पश्चात् किया जाएगा।"

21. विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

“सूचना तक अधिक और अधिक प्रभावी पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित आदेश के लिए सरकार ने संकल्प लिया कि संसद द्वारा अधिनियमित सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 को अधिक प्रगतिशील, सहभागितापूर्ण और सार्थक बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सूचना तक सुगम और अधिक पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को शामिल करने का सुझाव दिया। सरकार ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और अन्य द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की और कानून में कई बदलाव करने का फैसला किया।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलावों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जन सूचना अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए जांच शक्तियों के साथ एक अपीलीय तंत्र की स्थापना करना शामिल है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अधिकतम खुलासा अन्य बातों के साथ साथ न्यूनतम छूट सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार जानकारी प्रदान करने में विफलता के लिए दंडात्मक प्रावधान करना, अन्य बातों के साथ साथ वर्तमान पहुंच,

अभिगम, प्रवेश में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता पहुंच, अभिगम, प्रवेश, 2002 को निरस्त करने का भी निर्णय लिया है। प्रस्तावित कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मान्यता प्राप्त सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।”

22. खंड 3 और 6 के संबंध में खंडों पर टिप्पण नीचे दिए गए हैं:

“खंड 3 में नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा धारित सूचना तक पहुंच, अभिगम, प्रवेश का अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

खंड 6 में उस तरीके को निर्दिष्ट किया गया है जिसमें एक नागरिक द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया जा सकता है। यह अनुरोध अन्य संबंधित लोक प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का भी प्रावधान करता है, जिनके पास यह जानकारी हो सकती है।”

23. विधेयक से उपर्युक्त उद्धरणों के परिशीलन से यह दर्शित होगा कि इस संबंध में कोई एकरूपता नहीं है कि कौन सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रस्तावना में 'लोगों के लिए' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। खंड 3 में 'सभी नागरिक' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। खंड 6 में 'एक

व्यक्ति अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। उद्देश्यों और कारणों का कथन अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए तटस्थ है। तथापि, खंडों पर टिप्पण इस आशय के विशिष्ट हैं कि अधिकार **नागरिकों** को प्रदान किए गए हैं और अनुरोध **नागरिक** द्वारा किए जा सकते हैं।

24. सूचना का अधिकार विधेयक पर संसदीय बहस भी वर्तमान संदर्भ में शिक्षाप्रद है। बहस के अवलोकन से पता चलता है कि जिस समय विधेयक पेश किया गया था, उस समय इस्तेमाल की जा रही अभिव्यक्तियां **लोगों** के लिए सूचना तक पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए थीं। बहस के दौरान, **'लोग'** और **'नागरिक'** शब्दों का उपयोग समान रूप से किया जा रहा था।

25. जब राज्य सभा में विधेयक पर बहस की गई तो यह देखा गया कि **'नागरिक'**, **'लोग'**, **'व्यक्ति'** आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया गया है।

26. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्यायाधीश पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 पर तीसरी रिपोर्ट में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) द्वारा प्रासंगिक समय पर की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। एक सिफारिश यह थी कि सूचना

का अधिकार सभी **व्यक्तियों** को प्रदान किया जाना चाहिए, जबकि विधेयक केवल **नागरिकों** के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।

27. यहां तक कि संगठनों/व्यक्तियों और उक्त समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले गवाहों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार, जैसा कि उक्त रिपोर्ट में संक्षेप में बताया गया है, यह सुझाव देते हैं कि आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता नागरिकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें **गैर-नागरिक** भी शामिल होने चाहिए।

28. खंड-खंड 3 के संबंध में 1 और 2 मार्च, 2005 को आयोजित अपनी बैठकों में सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 का खंड-दर-खंड विचार इस प्रकार है:

खंड-3

यह खंड सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है।

14.1 सूचना तक कौन पहुंच, अभिगम, प्रवेश सकता है इस मुद्दे ने एक जीवंत बहस छेड़ दी। गवाहों ने अपने बयान में सभी व्यक्तियों को कानून की कवरेज का विस्तार करने के विचार का समर्थन किया। समिति के समक्ष कुछ विदेशी क्षेत्राधिकारों के उदाहरण रखे गए, जो सभी व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकार की पहुंच, अभिगम, प्रवेश देते हैं।

14.2 समिति ने यह ध्यान दें किया कि 2002 का अधिनियम केवल नागरिकों को पहुंच, अभिगम, प्रवेश का अधिकार देता है। यही नहीं, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार नागरिकों द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य हैं, सभी द्वारा नहीं। कुछ विचार-विमर्श के बाद समिति ने इस प्रावधान को बनाए रखने का समर्थन किया।

14.3 खंड को बिना किसी तब्दीली; परिवर्तन; बदलना के अपनाया गया है।"

इस प्रकार, खंड 3 में इस आशय की भाषा कि नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है, नहीं बदली गई।

29. बैठक का संलग्नक-ग 'सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 पर प्राप्त सुझावों का सार' खंड 3 पर मंत्रालय की टिप्पणियों के साथ इस प्रकार है -

खंड	सुझाव	मंत्रालय की टिप्पणियां

3-राइट के लिए जानकारी	'नागरिक' शब्द को 'व्यक्ति' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए	सरकार इसे प्रतिग्रहण करना, प्रतिगृहीत करना, स्वीकार करना कर सकती है
-----------------------------	--	---

30. तथापि, अंतिम रूप से, अधिनियम जो अब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है, की उद्देशिका निम्नलिखित है:

“प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के आदेश के लिए और इससे जुड़े मामलों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत सूचना तक नागरिकों की पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अधिनियम।

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है

और जबकि लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता है जो इसके कामकाज के लिए

और भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों और उनके उपकरणों को शासित लोगों के प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए भी महत्वपूर्ण है

और जबकि वास्तविक व्यवहार में जानकारी का खुलासा सरकारों के कुशल संचालन, सीमित राजकोषीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सहित अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव की संभावना है

और जबकि लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरिता को बनाए रखते हुए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है

अब, इसलिए, उन नागरिकों को निश्चित जानकारी प्रदान करना समीचीन है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं।"

31. इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम की खंड 3 और खंड 6 इस प्रकार है: नियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

6. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध।- (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के तहत कोई

"3. सूचना का अधिकार। इस अधि भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, अंग्रेजी या हिंदी में या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, उसकी आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में या

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से, निर्धारित शुल्क के साथ, अनुरोध करेगा -

(क) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण का केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो

(ख) केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो,

उसके द्वारा मांगी गई सूचना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करना:

बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लिखित में इसे कम करने के लिए मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

2. सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अन्य व्यक्तिगत विवरण के लिए अनुरोध करने का कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

3. जहां सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किसी लोक प्राधिकारी को आवेदन किया जाता है, -

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित हो। या

(ii) जिसका विषय किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है,

(ख) लोक प्राधिकारी, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो उस अन्य लोक प्राधिकारी को समुचित हो, अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचित करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में, आवेदन की तारीख या प्राप्ति से पांच दिन के पश्चात् किया जाएगा।"

32. आरटीआई अधिनियम के अवलोकन से पता चलता है कि विधेयक के विपरीत प्रस्तावना स्वयं स्पष्ट करती है कि नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने की मांग की गई है। हालांकि, यहां तक कि आरटीआई अधिनियम में भी इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति सुसंगत और एकसमान नहीं है। आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावना में नागरिक शब्द का उपयोग किया गया है।

33. उपर्युक्त विधायी सामग्री की पृष्ठभूमि में, इस बारे में स्पष्ट रूप से संघर्ष किया गया है कि क्या सूचना का अधिकार केवल **नागरिकों** को दिया जाना चाहिए या **गैर-नागरिकों** को भी। प्रस्तावना में '**नागरिक**' और '**जागरूक नागरिक**' शब्द का प्रयोग किया गया है। खंड 3 **नागरिकों** को सूचना का अधिकार भी प्रदान करती है। खंड 4 में सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को

उपलब्ध सुविधाओं के विवरण प्रकाशित करने की अपेक्षा की गई है। तथापि, खंड 4 यह भी अपेक्षा करती है कि लोक प्राधिकारी महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें। सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास भी खंड 4 (1) (डी) के तहत प्रभावित व्यक्तियों को उनके प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के लिए कारण प्रदान करने की बाध्यता। खंड 4 (2) में, सार्वजनिक प्राधिकरणों का प्रयास जनता को अधिकतम सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का होना चाहिए ताकि जनता सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया का न्यूनतम उपयोग कर सके। खंड 4 (3) के तहत प्रसार का स्वरूप और तरीका भी जनता के लिए आसानी से पहुंच में, सुगम होना चाहिए। खंड 5 के तहत सीलो.सू.अ.और राज्य लो.सू.अ.को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए नामित किया जाता है, जो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर विचार करेंगे और उन्हें उचित सहायता प्रदान करेंगे।

34. खंड 6 उन व्यक्तियों के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित करती है जो आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या जो इस तरह की आवेदन प्रक्रिया में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से कोई अनुरोध करते हैं। सीलो.सू.अ.या एसलो.सू.अ.को भी अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सभी उचित

सहायता प्रदान करनी होगी, उन मामलों में जहां इसे लिखित में नहीं किया जा सकता है। खंड 7 में जानकारी देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि, खंड 7 (1) के परंतुक में दिलचस्प रूप से कहा गया है कि यदि किसी **व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता** के संबंध में जानकारी मांगी जाती है, तो यह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए। खंड 7 (3) में दर्ज है कि अनुरोध करने वाले **व्यक्ति** को सूचना प्रदान की जानी है, जहां सूचना प्रदान करने की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ऐसे **व्यक्तियों** से खंड 7 (5) के प्रावधान के अनुसार आरटीआई आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अस्वीकृति के कारणों के बारे में खंड 7 (8) के तहत अनुरोध करने वाले **व्यक्तियों** को सूचित किया जाना है। खंड 8 में सभी का उपबंध है ऐसी सूचना जो प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और 8 (1) में **नागरिक** शब्द का उपयोग करती है। **व्यक्ति** शब्द का उपयोग खंड 8 (1) (ई), (जी), (जे) और खंड 8 (3) में किया गया है।

35. **किसी भी व्यक्ति** द्वारा खंड 19 के तहत अपील दायर की जा सकती है जो खंड 7 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या जो सीलो.सू.अ.या एसलो.सू.अ.के निर्णय से दुखी है।

36. अधिनियम के उपबंधों के विश्लेषण से पता चलता है कि निश्चित उपबंधों में 'नागरिक' शब्द का प्रयोग किया जाता है और अधिकांश उपबंधों में 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की ओर ले जाने वाले सूचना के अधिकार विधेयक के विधायी इतिहास में इस बात पर बहस हुई कि क्या नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति शब्द रखा जाना चाहिए या नहीं। खंड 3 के संबंध में, सूचना के अधिकार के अधिकार को बिना किसी तब्दीली; परिवर्तन; बदलना के बनाए रखा गया था अर्थात् नागरिक शब्द को बनाए रखा गया था।

37. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केंद्रीय सूचना आयोग के निष्कर्षों पर विचार किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार गैर-नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

38. सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि इसे सूचना तक सुगम और अधिक पहुंच, अभिगम, प्रवेश सुनिश्चित करने के इरादे से अधिनियमित किया गया था।

39. भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान करता है, किंतु ऐसे अधिकारों का एक छोटा समूह भी है जो गैर-नागरिकों के संबंध में भी प्रदान किए जाते हैं और मान्यता प्रदान की जाती है। इन उदाहरणों में यात्रा

संबंधी अनुमति, ओसीआई कार्ड, वीजा, शरणार्थी, भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित संपत्ति से संबंधित मुद्दे जो नागरिक नहीं हो सकते, प्रत्यर्पण संबंधी जानकारी आदि शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में **गैर-नागरिक** का सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ संपर्क होगा और उस पर आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के विपरीत होगा, जो **गैर-नागरिकों** के भी कुछ अधिकारों को मान्यता देता है।

40. सूचना का अधिकार अधिनियम सूचना तक पहुंच, अभिगम, प्रवेश पर बहुत जोर देता है और ऐसी सूचना किसी **व्यक्ति** के जीवन या स्वतंत्रता से भी संबंधित हो सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन का अधिकार शामिल है, न केवल **नागरिकों** के लिए बल्कि सभी **व्यक्तियों** के लिए उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम की खंड 7 (1) के प्रावधान में किसी **व्यक्ति** के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी को 48 घंटे के भीतर प्रकट करने की परिकल्पना की गई है, जिससे तत्परता और तत्परता के साथ ऐसी जानकारी को प्रकट करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह देखते हुए कि आरटीआई अधिनियम जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी को एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है, यह स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी होगा कि केवल नागरिक ही सूचना के अधिकार के हकदार हैं। जीवन

या स्वतंत्रता का संबंध विदेशी, एनआरआई, ओसीआई कार्ड धारकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों सहित गैर-नागरिकों से भी हो सकता है।

41. भारत के संविधान पर दुर्गा दास बसु की टिप्पणी में वर्णित विधिक स्थिति के आलोक में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अधीन गैर-नागरिकों के अधिकारों के महत्व की निम्नानुसार सराहना की जा सकती है:

“हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में 'कोई भी व्यक्ति' शब्द इसी प्रकार भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले विदेशियों को संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 14 में समूह के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सामान्य या कार्यकारी कार्यों के संदर्भ में विधान के संदर्भ में 'कोई व्यक्ति' शब्दों के उपयोग का यह अर्थ लगाया गया है कि इसका अर्थ है कि व्यक्ति समान रूप से अवस्थित हैं। विभेदक व्यवहार को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्तियों का वर्गीकरण निश्चित रूप से बोधगम्य और तर्कसंगत होना चाहिए-तर्कसंगतता का निर्धारण किया जाना चाहिए उस उद्देश्य के संदर्भ में, जिसके लिए कार्रवाई की गई है।

अनुच्छेद 14 का लाभ केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को भी उपलब्ध है। बाद के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण

का हकदार है। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार, राज्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है, चाहे वह नागरिक हो या अन्यथा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं और घोषणा का सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए और इन घोषणाओं और प्रसंविदाओं के उपबंधों का अर्थ ऐसा होना चाहिए जो उन अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करे। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और उसके सिद्धांतों की प्रयोज्यता को, यदि आवश्यक हो, घरेलू न्यायशास्त्र के साथ पढ़ा जा सकता है। हमारा संविधान अपने नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में निर्धारित सभी बुनियादी और मौलिक मानवाधिकारों की गारंटी देता है। मूल अधिकार से संबंधित अध्याय संविधान के भाग III में निहित है। भाग-3 का उद्देश्य राजनीतिक विवाद के उत्तर-चढ़ाव से बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें राजनीतिक दलों की पहुंच से बाहर रखना है, जो बहुमत के आधार पर केंद्र या राज्य में सरकार बना सकते हैं। मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कुछ सभी लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं..... जीवन शब्द के अर्थ को संकुचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 की भाषा के स्वरूप के अनुसार यह न केवल देश के प्रत्येक नागरिक

को उपलब्ध होगा बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को भी उपलब्ध होगा जो संविधान के अनुच्छेद 21 का नागरिक नहीं है। देश है। ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद 21 के संरक्षण का भी हकदार है, भले ही वह नागरिक न हो। विदेशियों के मामले में समान संरक्षण का क्या अर्थ है कि जिन मामलों में विदेशी किसी संवैधानिक नियोग्यता के अधीन नहीं हैं, राज्य केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि वह विदेशी है। [आगे प्रविष्टि 17, सूची 1, सातवीं अनुसूची, पोस्ट देखें]"

42. इसीए अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने 2000 की सी. ए. सं. 639 (1998 की एस. एल. पी. (सी) सं. 16439 से उद्भूत) में 'रेलवे बोर्ड सीए अध्यक्ष और अन्य बनाम चन्द्रिमा दास और अन्य वाले मामले में इस स्थिति को दोहराया गया है। उक्त निर्णय का प्रभावी भाग इस प्रकार है -

"...29. मूल अधिकार देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन उनमें से कुछ व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 14, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, 'व्यक्ति' पर लागू होता है, जिसमें देश के नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल होंगे, जबकि अनुच्छेद 15 केवल 'नागरिक' के बारे में बात करता है और इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति जाति लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई

भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, छात्रावास और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच, अभिगम, प्रवेश के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन किया जाएगा, या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और उपरोक्त आधारों पर सार्वजनिक रिसॉर्ट का उपयोग किया जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 15 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 16, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, केवल नागरिकों पर लागू होता है। अनुच्छेद 19 में निहित मूल अधिकार, जिसमें 'बुनियादी स्वतंत्रता' का अधिकार शामिल है, अर्थात् बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - एकत्र होने की स्वतंत्रता शांति से और बिना हथियारों के संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने की स्वतंत्रता और कोई उपजीविका करना व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है।

...35. इस सिद्धांत पर, यहां तक कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं और केवल पर्यटकों के रूप में या किसी अन्य क्षमता में यहां आते हैं, वे भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने जीवन की सुरक्षा के हकदार होंगे। उन्हें भी इस देश में जीने का अधिकार है। इस प्रकार, जब तक वे यहां हैं, उन्हें भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जैसे कि राज्य इस

देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करने के दायित्व के तहत है, वैसे ही राज्य उन व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने के दायित्व के तहत है जो नागरिक नहीं हैं।"

43. इस संदर्भ में, निम्नलिखित विनिश्चय पर भी विचार करना सुसंगत होगा उच्चतम न्यायालय ने 'मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य भारत संघ और अन्य' वाले मामले में यह टिप्पणी की। की स्थिति मणिपुर और अन्य, (2011) 15 एससीसी 1' जहां उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की खंड 3 और 6 में प्रयुक्त शब्दावली के बीच अंतर को भी नोट किया है। हालांकि, खंड 6 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह अनुरोध दायर कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने इस विभेद को ध्यान में रखने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

23. सूचना के अधिकार को भी अधिनियम की खंड 3 के तहत कानूनी रूप से निम्नलिखित रूप में मान्यता दी गई है:

3. सूचना का अधिकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

24. इस संबंध में खंड 6 बहुत महत्वपूर्ण है। खंड 6 के तहत कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह निम्नलिखित में अनुरोध करेगा -

अंग्रेजी या हिंदी में या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है उसकी राजभाषा में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा से, निर्धारित शुल्क के साथ। इस तरह का अनुरोध केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को किया जा सकता है। उक्त अनुरोध करते समय आवेदक से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक जानकारी या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने के लिए कोई कारण बताए।

25. यह ध्यान दें करना काफी दिलचस्प है कि भले ही अधिनियम की खंड 3 के तहत सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन खंड 6 किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देती है। अतः, खंड 6, एक अर्थ में, अपनी परिधि में खंड 3 से अधिक व्यापक है।"

उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करता है कि खंड 6 का दायरा और दायरा आरटीआई अधिनियम की खंड 3 से अधिक व्यापक है।

44. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 'डॉ. सौमेन पॉल बनाम भारत संघ और अन्य' [2002 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 62:(2002) 3 कैल एलटी 329:(2003) 1 सीआईवी एलटी 502) ने 6 फरवरी, 2002 को यह निर्णय दिया कि -

“2. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ता का तर्क है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की खंड 5 (1) (ए) के तहत पारित भारतीय नागरिकता प्रदान आदेश से इनकार आदेश के निर्णय को चुनौती देने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 की खंड 15 के तहत एक संशोधन को प्राथमिकता देने के बावजूद, जैसा कि 4 जून, 2001 को दक्षिण 24-परगना के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया गया है, अभी तक इस तरह के संशोधन के भाग्य के बारे में याचिकाकर्ता को कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, 24-परगना (दक्षिण) के संचार पर हमला किया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत यह केवल सूचित किया गया कि भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था। भारत संघ का विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है और वह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि उसके मुक्किलों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है और तदनुसार वह न्यायालय की सहायता नहीं कर सकता है। संलग्नक पी-5 के पृष्ठ ५० पर जिला मजिस्ट्रेट, २४-परगना (दक्षिण) के आक्षेपित पत्र से, जिसके खिलाफ कथित अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन दायर किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया था कि कथित अधिनियम की खंड 5 (1) (ए) के संदर्भ में नागरिकता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त अधिनियम की खंड 5 (1) (ए) नागरिकता प्रदान करने के लिए केवल दो शर्तों की संतुष्टि प्रदान करती है, अर्थात्, व्यक्ति भारतीय मूल का होना चाहिए और

दूसरा पांच वर्षों का निरंतर प्रवास होना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के माता-पिता भारतीय मूल के थे क्योंकि वे अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। विभाजन के बाद, माता-पिता पाकिस्तान में रह गए जहां वर्तमान याचिकाकर्ता का जन्म 30 दिसंबर, 1955 को हुआ था। भारत में लगभग 5 साल लगातार रहने के कारण, याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने से ऐसा प्रतीत होता है कि पुणे विश्वविद्यालय के एक विद्वान के रूप में एम फिल थीसिस प्रस्तुत करने के लिए खर्च किए गए समय को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना, 1983-84 के तहत और वर्ष 1989 में उक्त विश्वविद्यालय से पीएचडी प्रदान करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत होने के साथ-साथ नागरिकता प्रदान करने के आवेदन की तारीख तक रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने यह शर्त पूरी की है। इसलिए, नागरिकता के लिए उक्त अधिनियम के तहत किसी भी आवेदन के न्यायिक निर्णय के लिए संबंधित अधिकारियों को उन दो बिंदुओं पर संतुष्ट होना आवश्यक है। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक रूप से वर्तमान मामले में हालांकि याचिकाकर्ता ने पहले अधिकारियों की निष्क्रियता के बारे में इस रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, याचिकाकर्ता की प्रार्थना को खारिज करने का कारण बताने वाला कोई आदेश नहीं दिया गया है। कारण जानने का अधिकार एक मूलभूत मौलिक अधिकार है। रवि एस नाइक बनाम भारत संघ वाले मामले में निर्णय में रिलायंस को रखा जा सकता है। भारत संघ और अन्य, जहां यह तय किया गया है कि सूचना के अधिकार और सूचित

कारण के अधिकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में मजबूत आधार है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, जिसमें यह तय किया गया है कि सूचना का अधिकार और सूचित कारण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में मजबूत आधार है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के लागू होने पर ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 190 में रिपोर्ट किए गए मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जानने का अधिकार संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध है जिसे कोई भी निर्णय भुगतना पड़ेगा। वर्तमान मामले में हालांकि याचिकाकर्ता एक गैर-नागरिक है, लेकिन फिर भी भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 पूरी ताकत के साथ उसके मामले में लागू होता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य भारत संघ और अन्य, ए. चंद्रिमा दास (श्रीमती) और अन्य ने (2000) 2 एस. सी. सी. 465 में रिपोर्ट किया जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में 'जीवन' शब्द का निर्वचन करते हुए रेलवे यात्री निवास, हावड़ा में एक बांग्लादेशी नागरिक के बलात्कार पीड़ित के मुआवजे के भुगतान के तथ्य के बारे में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, विशिष्ट महिला का जीवन विधि की किसी भी उचित प्रक्रिया के बिना बाधित और/या वंचित था। इस तरह के परीक्षण को लागू करते हुए, तत्काल मामले में, संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए बाध्य

थे। उनके द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में नागरिकता के लिए आवेदन को अस्वीकार करना।

45. इसके विपरीत, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में डब्ल्यू. पी. (एम.डी.) वाले मामले में यह मत व्यक्त किया था। बालागनेसन बनाम प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ओआरएस 'शीर्षक से 2013 का संख्या 19811 और 2013 का एमपी (एमडी) संख्या 1। [31.01.2023 को निर्णय लिया गया] मुख्य सूचना आयुक्त (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय का अवलोकन केवल एक अवलोकन है और इसे अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

21. जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार का पता लगाया था सूचना प्राप्त करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत है, तो यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि व्यक्ति, जो अकेले भारत के नागरिक हैं, सूचना प्राप्त करने के हकदार हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत अधिकार केवल भारत के नागरिक को उपलब्ध है।

22. इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अधिनियम की खंड 6 के तहत आवेदन केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि खंड 3 में वर्णित है, तो अधिनियम की खंड 3 निरर्थक हो जाएगी। यह संविधियों के निर्वचन का मुख्य सिद्धांत है कि किसी कानून को पढ़ते समय, कानून के किसी अधिनियम को निरर्थक या निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। मुझे उसी फैसले (एआईआर 2012 एससीसी 864) पर भरोसा करके उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूती प्रदान की गई है। उपर्युक्त निर्णय में प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किया गया है:

“यह सर्वविदित है कि विधायिका शब्दों की बरबादी नहीं करती, न ही व्यर्थ में कुछ कहती है और न ही किसी उद्देश्य के लिए बोलती है। इस प्रकार, एक ऐसा निर्माण जो अधिनियम के एक हिस्से के अतिरेक की ओर जाता है, बाध्यकारी कारणों की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए निर्माण को प्रतिग्रहण करना, प्रतिगृहीत करना, स्वीकार करना करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है।

23. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि यहां तक कि एक गैर-नागरिक भी अधिनियम के तहत जानकारी का हकदार होगा, मेरे विचार में, तर्कसंगत नहीं है। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के आशय का पता लगाए और किसके लाभ के लिए ऐसा अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम को उनके लाभ के लिए व्यक्तियों के वर्ग के लिए अधिनियमित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, अधिनियम केवल एक नागरिक को जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कोई अन्य व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग नहीं कर सकता है और जानकारी नहीं मांग सकता है।

24. मेरे इस निष्कर्ष पर आने का कारण स्पष्ट है अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है, जो यह अभिनिर्धारित करता है कि लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक की आवश्यकता होती है और अधिनियम केवल नागरिकों को निश्चित जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। उस संदर्भ में, मुझे तीसरे प्रतिवादी के आक्षेपित संचार में कोई दुर्बलता नहीं मिली, जिसमें याचिकाकर्ता को यह साबित

करने के अपेक्षा करने वाली कि वह भारत का नागरिक है। यह
जात नहीं है कि याचिकाकर्ता इस तरह की जानकारी देने से क्यों
भाग रहा है।"

46. डा. सौमेन पाल (पूर्वोक्त) वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि सूचना गैर-नागरिकों को प्रकट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्य सूचना आयुक्त (उपर्युक्त) में यह नोट किया गया है कि खंड 6 खंड 3 से अधिक व्यापक है। दूसरी ओर, सरकार के इस निर्णय से के. के. सी. बालागणेशन (ऊपर) में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह माना कि केवल नागरिक ही हैं जानकारी पाने के हकदार हैं। यह न्यायालय आदरपूर्वक मद्रास उच्च न्यायालय से असहमत है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां वर्तमान मामले में तिब्बती जैसे गैर-नागरिक भी जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भारत में एक तिब्बती स्कूल में एक शिक्षक की सेवा कर रहे थे। यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों पर ऐसी जानकारी देने पर कोई रोक है। इस प्रकार, सीआईसी का यह कहना सही था कि यदि प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करना उचित लगता है तो कोई आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम निषेध नहीं है।

47 भारत में आरटीआई अधिनियम में परिभाषित लोक प्राधिकारी नागरिकों और गैर-नागरिकों के साथ व्यवहार करते हैं। एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, यह

मानना सही होगा कि सूचना का अधिकार **सभी नागरिकों** को प्रदान किया गया है, यह भी नहीं माना जा सकता है कि **गैर-नागरिकों** को जानकारी देने पर आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम निषेध है। **गैर-नागरिकों** से संबंधित मुद्दों से निपटने वाले ऐसे सार्वजनिक प्राधिकारियों के मामले में, यदि उनके व्यवहार में कोई निष्क्रियता या पारदर्शिता की कमी है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसे **गैर-नागरिक** को आरटीआई अधिनियम के तहत उक्त जानकारी मांगने से वंचित कर दिया जाएगा। तथ्यों, स्थिति और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि क्या जानकारी प्रकट की जानी चाहिए या नहीं। आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम प्रतिबंध लगाना स्वयं आरटीआई अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के विपरीत होगा और इस तरह के आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम प्रतिबंध को आरटीआई अधिनियम में नहीं पढ़ा जा सकता है।

48. संसदीय समिति का विचार, जिसने विधेयक पर चर्चा की और केवल **नागरिकों** को ही अधिकार दिए जाने के पक्ष में मत व्यक्त किया, इस गलतफहमी पर आधारित प्रतीत होता है कि संविधान के तहत मूल अधिकार केवल **नागरिकों** को ही उपलब्ध हैं, जो गलत है। इस प्रकार, इस न्यायालय की राय है कि सूचना का अधिकार **नागरिकों** और **गैर-नागरिकों** को उस प्रकार की

जानकारी के आधार पर उपलब्ध होना चाहिए जो मांगी गई है और भारत के संविधान के तहत ऐसे वर्ग के **व्यक्तियों** को गारंटीकृत अधिकारों की मान्यता है।

49. सूचना का अधिकार अधिनियम में उपबंधित सुरक्षा/अपवाद इस संदर्भ में **नागरिकों** या **गैर-नागरिकों** द्वारा मांगी गई किसी भी जानकारी पर लागू होंगे। जब भी **गैर-नागरिकों** द्वारा जानकारी मांगी जाती है, यह देखते हुए कि खंड 3 के तहत दिए गए अधिकार सकारात्मक रूप से नागरिकों पर हैं, तो यह अधिकारियों के विवेक पर होगा कि वे ऐसी जानकारी का खुलासा करें या नहीं।

50. इसलिए खंड 3 को नागरिकों के पक्ष में अधिकार की सकारात्मक मान्यता के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन गैर-नागरिकों के खिलाफ निषेध के रूप में नहीं।

51. वर्तमान मामले में दूसरा पहलू है। आरटीआई आवेदक एक तिब्बती नागरिक था और अपने आरटीआई आवेदन में इस बारे में बताया गया है। लेकिन उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भी **नागरिकता** का दावा किया। हालांकि, लो.सू.अ.ने यह मानते हुए कि केवल नागरिक ही आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के हकदार हैं, आरटीआई अधिनियम की खंड 3 के आधार पर कार्रवाई की गई। इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह नहीं है कि आरटीआई आवेदक सूचना का हकदार था या नहीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जानकारी प्रदान करने के लिए

पहले ही निर्देशित किया जा चुका है और वास्तव में, के.ति.वि.प्र. द्वारा सीआईसी के समक्ष प्रदान की गई है। आरटीआई आवेदक द्वारा निश्चित शिकायतों की गई हैं कि सीआईसी के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और वह प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है। यदि ऐसा है तो आरटीआई आवेदक कानून के अनुसार अपने उपचार का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

52. घोषणा की थी कि वह एक तिब्बती नागरिक है, जहां उसे एक तिब्बती नागरिक के रूप में मान्यता दी गई है। आरटीआई आवेदक के बारे में कहा गया है कि उसे तिब्बती शरणार्थी के रूप में एक पहचान पत्र के साथ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लो.सू.अ.का यह मानना कि कोई **गैर-नागरिक** आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना का हकदार नहीं होगा, दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता है और इन परिस्थितियों में, विशेष रूप से आरटीआई अधिनियम की खंड 3 के शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक सतर्कता दृष्टिकोण के रूप में माना जा सकता है **15437/2013** में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने '**तेनजिन चोफाग लिंग रिनपोचे बनाम भारत संघ**' शीर्षक से तारीख 7 अगस्त, 2013 को अपना फैसला सुनाया।

53. उपर्युक्त स्थिति की पृष्ठभूमि में, सीआईसी का यह निष्कर्ष कि लो.सू.अ.का दृष्टिकोण असदभावीपूर्ण और असदभावीपूर्ण है जिसे पहले चुनौती दी गई थी इस न्यायालय.आरटीआई आवेदक को पहले से ही उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर लो.सू.अ.के दृष्टिकोण को इस हद तक गलत नहीं ठहराया जा सकता

है कि केवल इस आधार पर असदभावीपूर्ण और असदभावीपूर्ण माना जाए कि आरटीआई आवेदक ने खुद को तिब्बती नागरिक घोषित कर दिया था और सूचना को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। आरटीआई अधिनियम के विधायी इतिहास को देखते हुए कानूनी सवाल जटिल प्रकृति का था।

54. रि.या.(आप.) 11271/2009 में इस न्यायालय का निर्णय 'रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया' शीर्षक से कंपनी अन्य अन्य वी. धर्मेन्द्र कुमार गर्ग अन्य अन्य जहां इसी तरह की स्थिति में, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा लो.सू.अ.द्वारा जानकारी का खुलासा न करने के आचरण को दुर्भावनापूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:- -

60. मैं यह भी देख सकता हूं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में आरटीआई अधिनियम की खंड 20 को लागू करने की मांग में केंद्रीय सूचना आयोग का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित है। किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि आरओसी के लो.सू.अ.ने 'बिना किसी उचित कारण' के कार्य किया था या 'जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी थी, या जानकारी को नष्ट कर दिया था, जो अनुरोध का विषय था, या किसी भी तरह से जानकारी प्रस्तुत करने में बाधा डाली थी। 'लो.सू.अ.को विभागीय परिपत्र संख्या 1/2006, दिनांक 24.01.2006 द्वारा इस विचार से निर्देशित किया गया था कि वे प्रत्यर्थी-प्रश्नकर्ता को संवाद करें। यह दृष्टिकोण किसी और ने

नहीं बल्कि कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक निरीक्षण और जांच द्वारा लिया गया था और कंपनी रजिस्ट्रार के सभी क्षेत्रीय निदेशकों और सभी आधिकारिक परिसमापकों को परिचालित किया गया था। लो.सू.अ.के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उक्त विचार को गलत साबित किया गया था। स्पष्ट रूप से, लो.सू.अ.ने बिना किसी द्वेष के ईमानदारी से काम किया।

61. यहां तक कि अगर यह तर्क की खातिर माना जाता है, कि आक्षेपित आदेश में विद्वत केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा लिया गया विचार सही था, और यह कि लो.सू.अ.जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य थे, जो अन्यथा कंपनी अधिनियम की खंड 610 का सहारा लेकर प्रश्नकर्ता द्वारा पुनर्विद्वान की जा सकती थी, यह नहीं कहा जा सकता था कि जानकारी को दुर्भावनापूर्ण रूप से या बिना किसी उचित हेतुक के रोक दिया गया था। यह हो सकता है कि लो.सू.अ.वास्तव में और सद्भावपूर्ण रूप से इस विश्वास पर विचार कर सकता है और यह विचार रख सकता है कि पूछताछ करने वाले द्वारा मांगी गई जानकारी किसी न किसी कारण से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। केवल इसलिए कि सीआईसी ने अंततः पाया कि लो.सू.अ.द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही नहीं था, यह अपने आप आरटीआई अधिनियम की खंड 20 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने का कारण नहीं बन सकता है। विधायिका ने

सावधानीपूर्वक यह प्रावधान किया है कि केवल दुर्भावनापूर्ण या अनुचित आचरण के मामलों में, अर्थात्, जहां पीआईओ, उचित हेतुक के बिना, आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है, या जानकारी प्रदान करता है, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है या जानकारी को नष्ट करता है, तो लो.सू.अ.पर व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से यह ऐसा मामला नहीं था। यदि सीआईसी प्रत्येक अन्य मामले में बिना किसी औचित्य के लो.सू.अ.पर जुर्माना लगाना शुरू कर देता है, तो इससे सार्वजनिक प्राधिकरणों में लो.सू.अ.के रूप में काम करने वाले लोगों में निरंतर आशंका की भावना पैदा होगी और उन पर अनुचित दबाव पड़ेगा। वे स्वतंत्र दिमाग और वस्तुनिष्ठता के साथ आरटीआई अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा नहीं समर्थ, योग्यइस तरह के परिणाम शासन के भविष्य के विकास और विकास के लिए ठीक नहीं होंगे, जिसे आरटीआई अधिनियम लाना चाहता है, और लो.सू.अ.के अपीलीय प्राधिकारियों और सीआईसी द्वारा असंतुलित और असंतुलित निर्णय लिए जा सकते हैं यह अनुचित और अर्थहीन; बेटुका आदेश हैं और आरटीआई अधिनियम द्वारा बनाई गई संस्थाओं को बदनाम करता है।"

55. वर्तमान मामले में, सीआईसी का निष्कर्ष कि लो.सू.अ.का आचरण असद्भावीपूर्ण है और इन तथ्यों में जुर्माना लगाना टिकाऊ नहीं है।तदनुसार, जुर्माना लगाने को दरकिनार कर दिया जाता है।

56. हालांकि, यह देखते हुए कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों और 'तेनजिन चिओफाग लिंग रिनपोचे' (ऊपर) में 7 अगस्त 2013 को दिए गए निर्णय के मद्देनजर आरटीआई आवेदक को तिब्बती नागरिक के रूप में वर्णित किया गया है, सीआईसी का याचिकाकर्ता को 5 अक्टूबर, 2016 के आदेश के संदर्भ में बिंदु-वार जवाब देने का निर्देश देने वाला आदेश, यदि पहले से ही अनुपालन नहीं किया गया हो, तो याचिकाकर्ता द्वारा अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। 5 अक्टूबर, 2016, दिनांकित कथित आदेश वर्तमान रिट याचिका का विषय नहीं है। यदि इसे अंतिम रूप दे दिया गया है, तो याचिकाकर्ता इसका अनुपालन करने और आरटीआई आवेदक को जानकारी देने के लिए बाध्य है, यदि पहले से ही नहीं दिया गया है।

57. याचिका, तदनुसार, उपर्युक्त शर्तों में अनुज्ञात है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

प्रतिभा एम सिंह

न्यायाधीश

13 मार्च 2023

एमआर/आरपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।